



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-21082026-275666
CG-WB-E-21082026-275666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4444]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 21 अगस्त, 2026

का.आ. 4625(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20A की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त-शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के जिला नदिया में विशेष रेल परियोजना "रानाघाट - कृष्णनगर तीसरी लाइन" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति; राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), नदिया, पश्चिम बंगाल में लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो प्रक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

नदीया ज़िले में "रानाघाट - कृष्णानगर तीसरी लाइन" नामक विशेष रेलवे परियोजना के लिए, संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित किए जाने वाले भूमि का संक्षिप्त विवरण।									
क्रम संख्या	जिले का नाम	पुलिस स्टेशन	मौज़ा, जेएल नंबर, शीट नंबर	प्लॉट नंबर		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र	
				आर एस	एल आर			एकड़	हेक्टेयर
1	2	2	3	4		6	9	13	
1	नदीया	रानाघाट	हालालपुर कृष्णपुर - 012, शीट नं 01	309		निजी	कृषि	0.1100	0.0445
2				312		निजी	कृषि	0.0600	0.0243
3				313		निजी	कृषि	0.0450	0.0182
1	नदीया	रानाघाट - I	कामगाछी - 17 (शीट नं 4)		1979/2881	निजी	गैर कृषि	0.1700	0.0688
2					1979/2890	निजी	गैर कृषि	0.1925	0.0779
3					1979/2891	निजी	गैर कृषि	0.0625	0.0253
4					1979/2892	निजी	गैर कृषि	0.1275	0.0516
5					1979/2893	निजी	गैर कृषि	0.1800	0.0728
6					1980/2898	निजी	गैर कृषि	0.0150	0.0061
1	नदीया	हांसखाली	पातुआ, जे एल नंबर 42		725	निजी	कृषि	0.1450	0.0587
2					728	निजी	कृषि	0.1000	0.0405
3					729	निजी	कृषि	0.1000	0.0405

4					731	निजी	कृषि/गैर कृषि	0.2900	0.1174
5					730	निजी	कृषि	0.1100	0.0445
1				17		निजी	कृषि	0.6125	0.2479
2	नदीया	हांसखाली	नोआपुकुरिया - 41	18		निजी	कृषि	0.2450	0.0991
3				27		निजी	कृषि	0.3000	0.1214
1					962	निजी	गैर कृषि	0.0345	0.0140
2					963	निजी	गैर कृषि	0.0100	0.0040
3					1000	स्वायत्त निकाय	गैर कृषि	0.0650	0.0263
4	नदीया	कृष्णगढ़	जालालखाली - 115 (शीट नं 3)		1115/1504	निजी	कृषि	0.3500	0.1416
5					1115	निजी	गैर कृषि	1.2500	0.5058
6					1063	निजी	कृषि	0.1500	0.0607
7					1062	निजी	कृषि	0.2500	0.1012

[फा. सं.- मु. प्र. अ./नि./ भू./322]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[Eastern Railway(Construction Department)]****NOTIFICATION**

Kolkata, the 21st August, 2026

S.O. 4625(E).— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed here to, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Railway Project, namely, "Ranaghat - Krishnanagar 3rd Line Project" in the district of Nadia in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional District Magistrate (LA), Nadia, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of land to be acquired with or without structure for Special Railway Project namely "Ranaghat- Krishnanagar 3rd line" in the District of Nadia									
Sl. No.	Name of the District	Police Station	Mouza, J.L. no, Sheet no	Plot No.		Type of land	Nature of land	Area to be acquired	
				RS	LR			Acres	Hectares
1	2	2	3	4		6	9	13	
1	Nadia	Ranaghat	Halalpur Krishnapur - 012, Sheet no 01	309		Private	Agriculture	0.1100	0.0445
2				312		Private	Agriculture	0.0600	0.0243
3				313		Private	Agriculture	0.0450	0.0182
1	Nadia	Ranaghat-I	Kamgachhi - 17 (Sh. No. 4)		1979/2881	Private	Non Agriculture	0.1700	0.0688
2					1979/2890	Private	Non Agriculture	0.1925	0.0779
3					1979/2891	Private	Non Agriculture	0.0625	0.0253
4					1979/2892	Private	Non Agriculture	0.1275	0.0516
5					1979/2893	Private	Non Agriculture	0.1800	0.0728
6					1980/2898	Private	Non Agriculture	0.0150	0.0061
1	Nadia	Hanskhali	Patua, J.L. No. 42		725	Private	Agriculture	0.1450	0.0587
2					728	Private	Agriculture	0.1000	0.0405
3					729	Private	Agriculture	0.1000	0.0405
4					731	Private	Agriculture/ Non Agriculture	0.2900	0.1174
5					730	Private	Agriculture	0.1100	0.0445
1	Nadia	Hanskhali	Noapukuria - 41	17		Private	Agriculture	0.6125	0.2479
2				18		Private	Agriculture	0.2450	0.0991
3				27		Private	Agriculture	0.3000	0.1214

1	Nadia	Krishnagar	Jalalkhali - 115 (Sh. No. 3)		962	Private	Non Agriculture	0.0345	0.0140
2					963	Private	Non Agriculture	0.0100	0.0040
3					1000	Autonomous body	Non Agriculture	0.0650	0.0263
4					1115/1504	Private	Agriculture	0.3500	0.1416
5					1115	Private	Non Agriculture	1.2500	0.5058
6					1063	Private	Agriculture	0.1500	0.0607
7					1062	Private	Agriculture	0.2500	0.1012

[F. No. CAO/Con/L/322]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con